न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 419 सन 2022
अनवान :–

1. लिछमा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. द्रोपदी पत्नी दया नरेश पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी परलीका हाल किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सिनगारी पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री , अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 147/147 की कुल 0.253हैक्ट में से 1/2 हिस्सा वेदप्रकाश पुत्र हरलाल व रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 129/129 की कुल 3.0360हैक्ट में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4910हैक्ट मेंसे 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 332/296 की कुल 6.0470हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम से दर्ज है वेदप्रकाश पुत्र हरलाल वादीया पति एवं दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश वादीया का पुत्र है दोनो का देहान्त हो चुका है जिसे जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो दयानरेश की पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो दयानरेश की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 जो दयानरेश की पत्नी है ने दुसरा विवाह कर लिया है तथा अपने ससुराल में निवास करती है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम से दर्ज भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम से दर्ज है वेदप्रकाश पुत्र हरलाल वादीया पति एवं दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश वादीया का पुत्र है दोनो का देहान्त हो चुका है जिसे जायज वारिसान सजरा

धकारी

खानदान के अनुसार वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माता/सासु वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 147/147 की कुल 0.253हैक्ट में से 1/2 हिस्सा वेदप्रकाश पुत्र हरलाल व रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 129/129 की कुल 3.0360हैक्ट में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4910हैक्ट मेंसे 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 332/296 की कुल 6.0470हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम से दर्ज है वेदप्रकाश पुत्र हरलाल वादीया पति एवं दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश वादीया का पुत्र है दोनो का देहान्त हो चुका है जिसे जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो दयानरेश की पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो दयानरेश की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 जो दयानरेश की पत्नी है ने दुसरा विवाह कर लिया है तथा अपने ससुराल में निवास करती है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 147/147 की कुल 0.253हैक्ट में से 1/2 हिस्सा वेदप्रकाश पुत्र हरलाल व रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 129/129 की कुल 3.0360हैक्ट में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4910हैक्ट मेंसे 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 332/296 की कुल 6.0470हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अधिकारी

वादीया का कथन है कि वेदप्रकाश पुत्र हरलाल वादीया पति एवं दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश वादीया का पुत्र है दोनो का देहान्त हो चुका है जिसे जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो वेदप्रकाश पुत्र हरलाल एव दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 147/147 की कुल 0. 253हैक में से 1/2 हिस्सा वेदप्रकाश पुत्र हरलाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 129/129 की कुल 3.0360हैक में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4910हैक मेंसे 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 332/296 की कुल 6. 0470हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातदेार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लिछमा पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 द्रोपदी पत्नी दया नरेश पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी परलीका हाल किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. सिनगारी पुत्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 419 सन 2022 निर्णय दिनांक– 13/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 147/147 की कुल 0.253हैक्ट में से 1/2 हिस्सा वेदप्रकाश पुत्र हरलाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर व रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 129/129 की कुल 3.0360हैक्ट में से 1/8 हिस्सा व रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 83/83 की कुल 3.4910हैक्ट मेंसे 1/4 हिस्सा एव रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 332/296 की कुल 6.0470हैक्ट में से 1/4 हिस्सा भूमि दयानरेश पुत्र वेदप्रकाश के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातदेार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर